रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112025-267647
CG-DL-E-14112025-267647

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 757] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2025/ कार्तिक 22, 1947
No. 757] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025/ KARTIKA 22, 1947

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 843(अ).—डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का 22 वां) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निर्धारित करती है कि-

(क) इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2), धारा 2, धाराएँ 18 से 26, धाराएँ 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 तथा धारा 44 की उप-धाराएँ (1) और (3) प्रवृत होंगी;

(ख) इस राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष, जिस दिन उक्त अधिनियम की धारा 6 की उधारा (9) और धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (घ) के प्रावधान लागू होंगे।

(ग) इस राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से अठारह महीने, जिस पर धारा 3 से 5, धारा 6 की उपधारा (1) से (8) और (10), धारा 7 से 10, धारा 11 से 17, धारा 27 (उपर्युक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (घ) को छोड़कर), धारा 28 से 34, 36, 37 और उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के प्रावधान लागू होंगे।

[फा.सं. AA-11038/1/2025- सी एल और ई एस]

अजीत कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2025

G.S.R. 843(E).——In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (22 of 2023), the Central Government hereby appoints—

(a) the date of publication of this notification in the Official Gazette as the date on which the provisions of sub-section (2) of section 1, section 2, sections 18 to 26 sections 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, and sub-sections (1) and (3) of section 44 of the said Act shall come into force;

(b) one year from the date of publication of this gazette on which the provisions of sub-section (9) of section 6 and clause (d) of sub-section (1) of section 27 of the said Act shall come into force.

(c) eighteen months from the date of publication of this gazette, on which the provision of sections 3 to 5, sub-sections (1) to (8) and (10) of section 6,sections 7 to 10, sections 11 to 17, section 27 except clause (d) of sub-section (1) of the said section, sections 28 to 34, 36, 37 and sub-section (2) of section 44 of the said Act shall come into force.

[F. No. AA-11038/1/2025-CL&ES]

AJIT KUMAR, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.11.14 10:37:23 +05'30'